छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी-3, 244,245, सेक्टर 27, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नया रायपुर secretaryboc@gmail.com, phone No. 2971063

क्रमान /बीओसी / स्वा0पें / 2017 / 431 नया रायपुर, दिनांक 2.6 / 2017

सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी जिला---

स्वावलंबन पेंशन योजना एवं अटल पेंशन योजना के कियान्वयन विषय:-के संबंध में ।

-000----

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 01.04.2015 से पूर्व स्वावलंबन पेंशन योजना 18 से 60 वर्ष के हितग्राहियों के लिये लागू थी । भारत सरकार द्वारा िनाक 01.06.2015 से 18 से 40 वर्ष के हितग्राहियों के लिये अटल पेंशन योजना लागू की गई है । इस संबंध में अटल पेंशन योजना एवं स्वावलंबन पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों से अंशदान जमा करने हेतु पीएफआरडीए से मार्गदर्शन चाही गई थी । इस संबंध में पीएफआरडीए द्वारा उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत अंशदान जमा करने हेत् पत्र कमांक पीएफआरडीए/3/ए०जी०जी /89, दिनांक 22.02.2017 द्वारा मार्गदर्शन प्रदाय की गई है । (पत्र की प्रति संलग्न है)।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पीएफआरडीए के पत्र में दिये गये निर्देश अनुसार उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत हितग्राहियों का अंशदान जमा कारवाना सनिश्चित करें।

> (श्रीमती सविता मिश्रा) सचिव छ्0ुग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर दिनांक 25/04/2017

पृ०क०/स्वा०पें/2017/432-43.7 प्रतिविक्षि -

गाननीय अध्यक्ष , छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रमुख सचिव, छ०ग० शासन श्रम विभाग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

श्रमायुक्त सह मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ 03. प्रेषित ।

कलेक्टर जिला————की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कार्यवाही हेतु प्रेषित । लेखा शाखा, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । एन आई सी शाखा छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर मण्डल के पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

> छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

वी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन. कृतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016. दूरभाष : 011-26517501

फैक्स : 011-26517507 वेब्रसाइट : www.pfrda.org.in

25

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area,

Katwaria Sarai, New Delhi-11001 Ph: 011-26517501

Fax: 011-26517507/ Website: www.pfrda.org.in

February

To,

Shri Vivek Dhand Chief Secretary. Government of Chhattisgarh, Room No. S-4/21, Fourth Floor, Mahanadi Bhawan, Mantralaya,

File No- PFRDA/3/AGG/89

Naya Raipur, Chhattisgarh - 492 002

Subject: Clarification regarding Swavalamban subscriber aged above 40 years.

Dear Sir.

Please refer your letter no. 49/CS/2017 dated 06.01.2017 on the captioned subject

It is to be noted that as per instruction received from Govt, of India fresh registration under NPS Lite/Swavalamban has been discontinued w.e.f. 01.04.2015. Further, a new scheme Atal Pension Yojana was launched by Govt. of India w.e.f. 01.06.2015. As instructed by Govt. of India, the subscribers of NPS Lite/Swavalamban, in the age group of 18-40 years have been given an option to migrate to new Atal Pension Yojana. It was further advised that the associated aggregator would facilitate these eligible subscribers for completing the process of migration to APY which is being handled by Banks only.

3. Further, NPS Lite/Swavalamban subscribers who are above 40 years of age are permitted to continue in the NPS Lite scheme till they attain the age of 60 years by getting services of their existing Aggregator registered with PFRDA. In case any aggregator who is either de-registered or whose de-registration is under process, its underlying subscribers have a choice for selecting either SBI or CSC e-Governance infrastructure Ltd as their default aggregator for providing future services to them.

For any clarification you may please contact Shri Sunil Samuel, AVP, NSDL at sunils@nsdl.co.in.

Yours sincerely

(Ashish Kumat) General Manager

College. ..